www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 17.03.2017

श्री हरिशंकर की हिरासत में हुई मृत्यु के सन्दर्भ में दिल्ली पुलिस के तत्कालीन निरीक्षक (एस.एच.ओ.) को पाँच वर्ष की कठोर कारावास

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ने श्री हरिशंकर, निवासी दिल्ली की हिरासत में हुई मृत्यु के सन्दर्भ में हौज काज़ी पुलिस स्टेशन, दिल्ली के तत्कालीन एस.एच.ओ. श्री धर्म पाल यादव, निरीक्षक (सेवानिवृत) को आज 35,000 रू. जुर्माने सहित 05 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के निवेदन एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर हौज काज़ी पुलिस स्टेशन, दिल्ली के एस.एच.ओ. धर्म पाल यादव, निरीक्षक एवं अन्यों के विरूद्ध दिनांक 17.04.1998 को मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता (मृतक का भाई) ने आरोप लगाया कि उसके भाई को प्रताड़ित किया गया व हौज काज़ी पुलिस स्टेशन, दिल्ली के पुलिस कर्मियों के द्वारा मार दिया गया। ऐसा आगे आरोप है कि चौक शाह मुबारक, दिल्ली निवासी श्री हरिशंकर को निरीक्षक धर्म पाल यादव, एस.एच.ओ. के निर्देश पर दिनांक 09.12.1997 को हौज काज़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के द्वारा उठा लिया गया एवं निर्दयता से पीटा गया। परिणाम स्वरूप, पुलिस हिरासत के दौरान दिनांक 10.12.1997 को उनकी मृत्यु हो गई।

गहन जाँच के पश्चात, सीबीआई ने दो आरोपियों यथा निरीक्षक धर्मपाल यादव, तत्कालीन एस.एच.ओ. एवं उक्त पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक के विरूद्ध मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली में दिनांक 10.12.1999 को आरोप पत्र दायर किया। विचारण के दौरान तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक की मृत्यु हो गई और उनके विरूद्ध आरोप हटा लिया गया। 24 अभियोजन गवाहों से जाँच पड़ताल की गई।

विचारण अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****